पटना नगर निगम

मौर्यलोक कम्पलेक्स, ब्लॉक-सी, द्वितीय तल्ला, पटना-800001

पत्र संख्या-8095 /प0न0नि0

प्रेषक,

उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,

पटना नगर निगम, पटना।

सेवा में,

श्री अविनाश श्रीवास्तव एवं अन्य,

मातृ होम्स् प्राईवेट लिमिटेड,

फ्लैट संख्या-208, नीलाम्बर अपार्टमेन्ट,

ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना-800001

पटना, दिनांक-02/05/2016 ई0।

विषय:- प्लान केस सं०-PRN/SANDALPUR/B+G+4/001/2015 की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

आपके आवेदन सं0-PRN/SANDALPUR/B+G+4/001/2015 दिनांक-25.08.2015 के संदर्भ में श्री अविनाश श्रीवास्तव, ईस्ट बोरिंग केनाल रोड, पटना के लिए भवन निमार्ण के लिए पटना नगर निगम/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित .... विकास योजना/आयोजना प्राधिकार/आयोजना स्कीम के .... प्लॉट सं0-1133 (अंश) एवं 1128 (अंश), खाता सं0-541 एवं 542, तौजी संख्या-303, सर्किल संख्या-71, थाना-आलमगंज, थाना सं0-11, वार्ड सं0-18/24, मौजा-संदलपुर, मोहल्ला-परशुराम कॉलोनी, पटना के बाबत निम्नलिखित शर्तों/निर्बंधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 519.16 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 12.19 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ङ) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

Scanned by CamScanner

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों 01.98 मीटर से 02.22 मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षों की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित/ की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जाएगी।

(ञ) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों/कागजात के सत्यता की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि/हेर-फेर/कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,

Satyendra

उप निदेशक,

शहरी योजना शाखा,

पटना नगर निगम, पटना।

Scanned by CamScanner

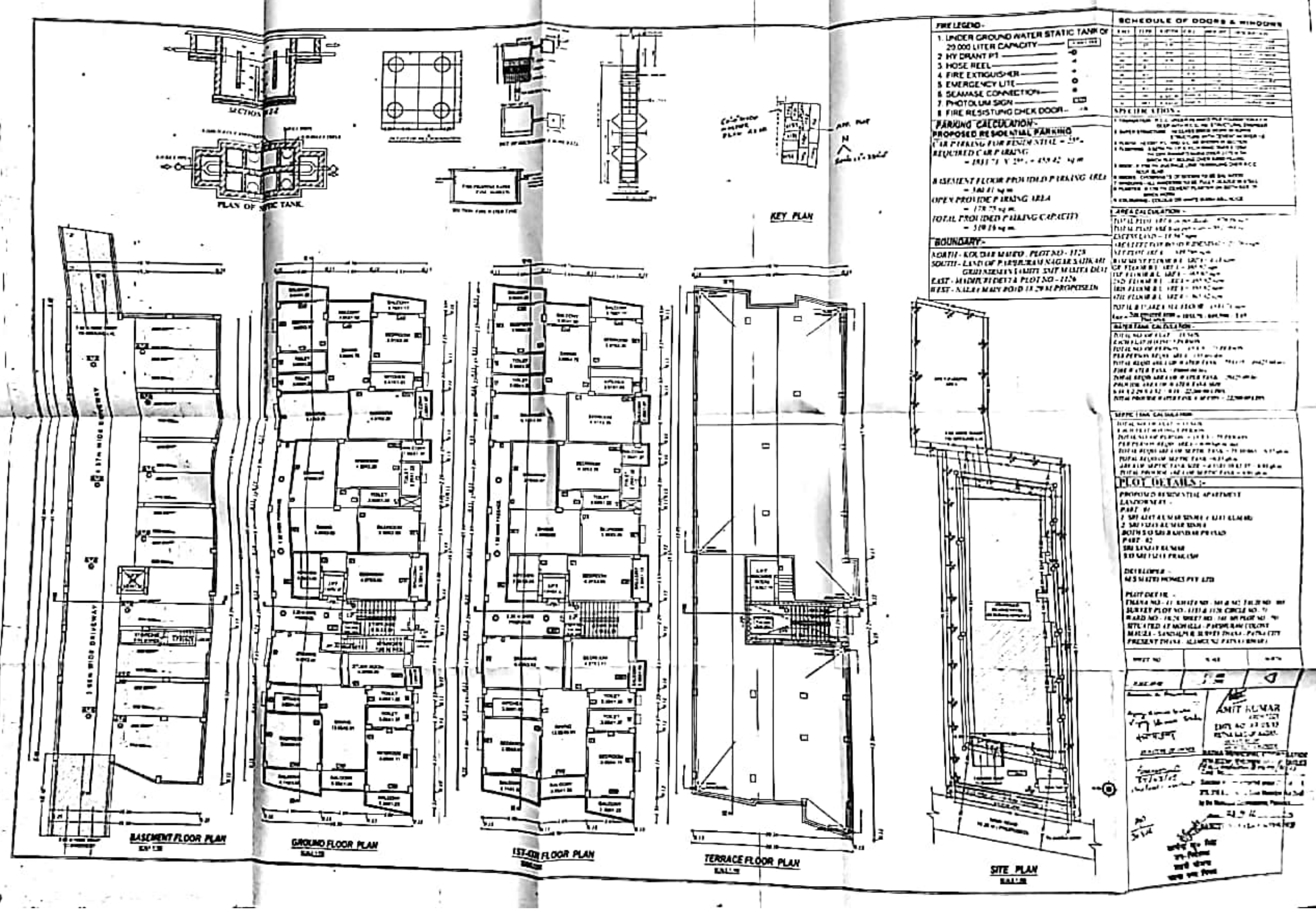

Scanned by CamScanner

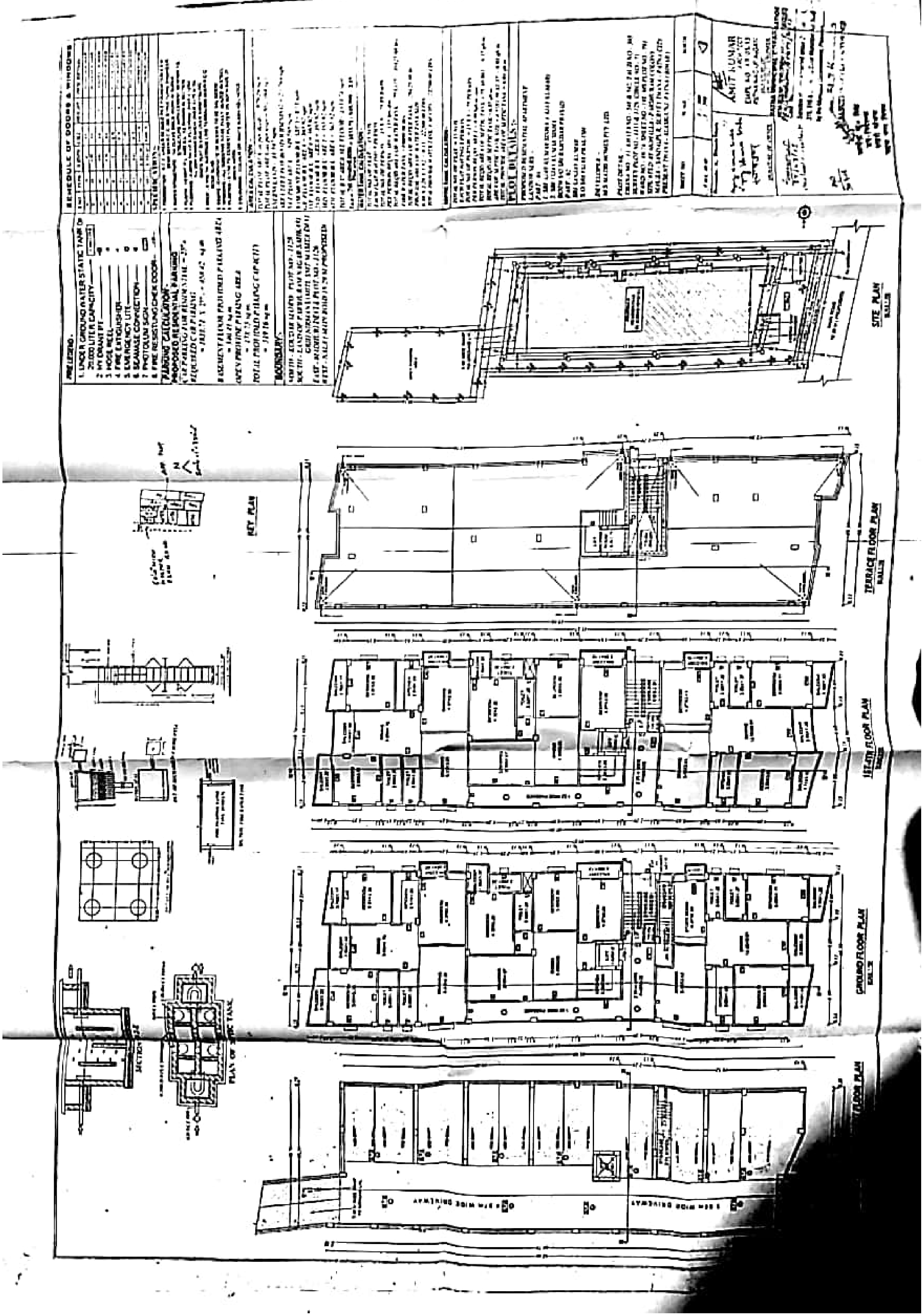

Scanned by CamScanner